बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..............................

डॉ० शाईस्ता परवीन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकोढीगोला, रोहतास द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1017(2) दिनांक–11.09.2020 के अनुपालन में निर्धारित कर्त्तव्य पर दिनांक–14.09.2020 से 17.08.2023 तक एव सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक–2356 दिनांक–14.08.2023 के आलोक में दिनांक–18.08.2023 से 02.09.2023 तक कर्त्तव्य स्थल पर कार्य किया गया। वे अपनी अस्वस्थता एवं परिवारिक समस्या के कारण कर्त्तव्य स्थल पर अनुपस्थित रहे। स्वस्थ होने के उपरान्त दिनांक–20.12.2024 को अभ्यादेवन समर्पित करते हुए पदस्थापित स्थल पर योगदान करने का अनुरोध किया गया।

2. डॉ० शाईस्ता परवीन द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु की गयी अनुरोध के समीक्षोपरात डॉ० शाईस्ता परवीन का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, रोहतास को निदेशित किया जाता है कि डॉ० शाईस्ता परवीन को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० शाईस्ता परवीन की योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० शाईस्ता परवीन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकोढीगोला, रोहतास के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 87(9)/ पटना, दिनांकः–14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एव हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना/सिविल सर्जन, रोहतास को निदेशित किया जाता है कि डॉ० शाईस्ता परवीन के कर्त्तव्य पर योगदान करने से सबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र मे आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० शाईस्ता परवीन चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकोढ़ीगोला, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एव 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025
सरकार के अवर सचिव।